उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 403 /VII-2-18/41-M.S.M.E./2016
देहरादून, दिनॉकः 22 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट–अप्स के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्टार्ट–अप इण्डिया पहल की घोषणा की गयी है। स्टार्ट–अप की पहचान, मान्यता आदि के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः–113, दिनांक 17.02.2016 निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में इन्क्यूबेशन (Incubation) एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से शासन के सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्याः–955/VII-2-17/41–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 29.06.2017 द्वारा लागू उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2017 को पूर्णतः प्रतिस्थापित करते हुए **"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018"** प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018"

1. दृष्टि

उत्तराखण्ड में उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर एक पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देकर राज्य को देश में स्टार्ट–अप के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करना है।

2. उद्देश्य

नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है–

1 उत्तराखण्ड में कम से कम 500 नए स्टार्ट–अप का विकास एवं पोषण।
2 इच्छुक एवं वर्तमान उद्यमियों के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना।
3 उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देकर वर्तमान नौकरी खोजने वाले रूझान से नौकरी देने वाले रूझान को बढ़ावा देना।

3. परिभाषा

3.1 उपक्रम (एन्टिटि)

एक कम्पनी (कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार), एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत)।

3.2 स्टार्ट–अप

उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत एक इकाई को "स्टार्ट–अप" माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तो को पूरा करेगी या यदि इकाई स्टार्ट–अप इंडिया की पहल के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे चौथी शर्त को पूरा करती हैः–

(1) उसके निगमीकरण / पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक; यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट–अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण / पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी; और

(2) निगमीकरण / पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार रू0 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो; और

(3) पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था (एन्टिटि) को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जाएगा।

(4) उत्तराखण्ड में इसे निगमित / पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हो, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले परिवर्तन / परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

3.3 इनक्यूबेटर

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं जैसे– भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

1 इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिएः–

(क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत)
(ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
(ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)
(घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम–2008 के तहत)
(ड) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–1882 के तहत)

2 इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से सहायता करनी चाहिए।

3.4 एंजल इंवेस्टर

एंजल इंवेस्टर आम तौर पर समृद्ध या उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति हैं जो स्टार्ट–अप अथवा उद्यमियों को शुरूआती या प्रारम्भिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। एंजल इंवेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

3.5 एंजल नेटवर्क

एंजल नेटवर्क, एंजल इंवेस्टर का एक समूह है जो साथ–साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारंभिक चरण के व्यवसाय के लिए फंड को प्रबंधित करते है। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा कर के उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

3.6 नवोन्मेष

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

3.7 विश्वविद्यालय

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा ऐसी कोई भी संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

3.8 स्टार्ट–अप काउंसिल

स्टार्ट–अप काउंसिल एक संस्था है जिसे उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पहल पर नजर रखने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और निजी पृष्ठभूमि से चयनित सदस्यों को सम्मिलित कर गठित किया जायेगा। **काउंसिल का गठन विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा।**

3.9 टास्क फोर्स

आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में, उद्योग निदेशालय स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी, जो स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त Startups/Incubators को नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों (रू0 10.00 लाख/प्रति लाभार्थी तक) को प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

3.10 नोडल एजेंसी

सभी श्रेणी के स्टार्ट–अप को प्रमाणित करने के लिए स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन।

4. नीति अवधि

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षों तक अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

5. फोकस क्षेत्र

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित हैं–

1. यात्रा और पर्यटन
2. खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित)
3. आयुष
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare)
6. जैव प्रौद्योगिकी
7. फार्मास्युटिकल्स

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र, जो कि राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

6. लाभ/प्रोत्साहन

6.1 स्टार्ट–अप

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "स्टार्ट–अप" के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहनों के लिए योग्य होगी–

6.1.1 मासिक भत्ता

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को रू0 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता रू0 15,000 देय होगा, जो अधिकतम एक वर्ष तक दिया जायेगा।

6.1.2 विपणन सहायता

मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर रू0 5.00 लाख तक की विपणन सहायता स्टार्ट–अप काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात् देय होगी।

नीति के अंतर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत

श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता रू0 7.5 लाख तक देय होगी। यह सहायता स्टार्ट–अप को एक बार देय होगी।

6.1.3 प्रतिपूर्ति / छूट

पेटेंट (बौद्धिक संपदा)

1 स्टार्ट–अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रखरखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में रू0 1 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में रू0 5 लाख तक देय होगी यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय देय होगी।

स्टाम्प शुल्क

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को लीज डीड / स्थान / भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट देय होगी।

राज्य माल एवं सेवा कर

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म / इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी0 टू0 सी0) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किये गये एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति बजट के माध्यम से की जायेगी।

6.1.4 अवसंरचनात्मक सहयोग

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जाएगा।

इन्क्यूबेशन स्पेस

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / महिला / शारीरिक रूप से विकलांग स्टार्ट–अप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम दर पर इनक्यूबेटर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

6.1.5 आवश्यकता आधारित सहायता

नए उत्पाद के विकास / वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल / घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को रू0 5 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट–अप परिषद के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

6.2 इन्क्यूबेटर्स

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "इन्क्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त ईकाई निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए योग्य होगी।

6.2.1 पूँजीगत सहायता

इन्क्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम रू0 1 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इन्क्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इन्क्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए दी जाएगी।

6.2.2 चालू खर्चे हेतु सहायता

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष रू0 2 लाख तक की सहायता देय होगी।

7. फंडिंग

निवेश अवसरों तक पहुँच की सुविधा के लिए सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुविधाजनक शर्तों (जैसे सम–पार्श्विक मुक्त ऋण, उदार शर्तों पर ऋण इत्यादि) पर शुरूआती उधार देने की अपनी वर्तमान योजनाओं को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.1 ऐंजेल नेटर्वक की स्थापना

स्टार्ट–अप के लिए सीड फण्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उच्च निबल मूल्य वाले व्यक्तियों, उद्योगपतियों, सफल उद्यमियों, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों तथा उच्च अनुभवी व्यवसायिक कार्यकारियों एवं पेशेवरों को ऐंजेल नेटर्वक (उत्तराखण्ड ऐंजेल्स) तथा "सामाजिक प्रभाव निवेशक समूह" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

7.2 मैचिंग ग्रान्ट

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम रू0 2 करोड़ जो भी कम हो, देय होगा।

7.3 अन्य सहयोग

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे–निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

8. अकादमिक सहयोग

8.1 पाठ्यक्रम अद्यतन

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए "उद्यमिता विकास" पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाएगी, ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

8.2 पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का समावेश

उद्यमशीलता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।

8.3 ई.डी.सी. (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई.डी.सी. स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता विकास, सेल हब का एक हिस्सा होगें और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई.आई.टी. रूड़की तथा आई.आई.एम. काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिप प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई.पी.बी.) की शुरूआत की जाएगी।

8.4 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।

8.5 परियोजना कार्य

अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट–अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरंभिक परियोजना के रूप में अपनी शुरूआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।

9. अन्य पहल

9.1 मेन्टरशिप बूटकैम्प

सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट–अप इवेंजीलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किये जाएंगे। इससे–

1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी।
2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

9.2 आइडिया चैलेंज

उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उददे्श्य से राज्य के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक छः माह में "आइडिया चैलेंज" आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या अधिकतम 10 तक हो सकती है, रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

9.3 नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट–अप फेस्टिवल

उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिससे युवाओं को समस्या हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे–

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थिकी तंत्र के हित धारकों के साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

10. सक्षमता

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार निम्न सुनिश्चित करेगी–

10.1 स्टार्ट–अप पोर्टल और मोबाइल ऐप

राज्य सरकार एक स्टार्ट–अप पोर्टल और ऐप विकसित करेगी, जिसमें नीति से संबंधित सभी सूचनाएँ, इसके लाभ और उन्हें लेने की प्रक्रिया की सूचनाएं उपलब्ध होंगी।

10.2 समर्पित हेल्पलाइन

सभी स्टार्ट–अप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन अंग्रेजी और हिन्दी में सक्रिय की जाएगी। हेल्पलाइन व्यवसाय के पंजीकरण, धन/ऋण की उपलब्धता की जानकारी, नीति का स्पष्टीकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को संबोधित करने में सहायता करेगी।

10.3 प्रोत्साहन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से एक स्टार्ट–अप गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगी, ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट–अप और अन्य विभिन्न माध्यमों की भागीदारी को प्रायोजित किया जाएगा।

10.4 समीक्षा तंत्र

टास्क फोर्स द्वारा इस नीति की समीक्षा एक वर्ष में एक बार अवश्य की जाएगी, ताकि नीति की उपयोगिता का आकलन, कार्यान्वयन में आसानी और परिणाम प्राप्त हो सकें। यह रिपोर्ट स्टार्ट–अप परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्याः–196/XXVII(8)/2018 दिनांक 22 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 403 (1)/VII-2-18/41-M.S.M.E./2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. प्रतिनिधि, आई0आई0टी0, रूड़की/आई0आई0एम0, काशीपुर/जी0बी0 पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंत नगर/एन0आई0टी0, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त नीति का प्रकाशन आगामी गजट में करते हुए 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः —— /VII-2–18/41–एमएसएमई/2016
दिनांकः6 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप **संख्या–403/सात–2–18/41–एमएसएमई/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2018** से प्रख्यापित **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018** में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018** प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि

1. ये दिशा–निर्देश/आदेश **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018** कहे जायेंगे।
2. यह दिशा–निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षो अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेंगे। **दिनांक 29.06.2017 के पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले स्टार्ट–अप को भी स्टार्ट–अप नीति के लाभ अनुमन्य होंगे।**
3. फील्ड स्तर पर इन दिशा–निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के महानिदेशक पदधारक अधिकारी, जो वर्तमान में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग है तथा उनके अधीन जनपदों में कार्यरत जनपद स्तरीय अधिकारी जो वर्तमान में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हैं, का होगा।

2 उपक्रम (Entity)

उपक्रम से तात्पर्य (कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार), पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार) अथवा सीमित देयता साझेदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अनुसार) गठित विधिक उपक्रम से है।

3 स्टार्ट–अप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत एक ईकाई को स्टार्ट–अप माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तो को पूर्ण करती हो अथवा यदि ईकाई स्टार्ट–अप इंडिया की पहल

के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे उल्लिखित चौथी शर्त को पूर्ण करती हो:–

1 उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट–अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी और,

2 निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष मे उसका कारोबार रू0 25.00 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और

3 पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था (एन्टिटि) को स्टार्ट–अप नहीं माना जाएगा।

4 उत्तराखण्ड में इसे निगमित/पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हों, जिसमें अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण:–

1 कोई उपक्रम अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रूपये से अधिक होने पर 'स्टार्ट–अप' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2 कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

3 यदि स्टार्ट–अप उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के सम्बंध में कार्य कर रहा है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च सम्भावना वाला एक स्केलेबल व्यवसायिक मॉडल है तो उसे स्टार्ट–अप माना जायेगा। किसी उपक्रम को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:–

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा:–

(क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

(ख) एक समान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों,

4 इनक्यूबेटर

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं जैसे भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इनक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

1 इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए:–

(क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत)

(ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)

(ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)

(घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम–2008 के तहत)

(ड.) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–1882 के तहत)

2 इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से

सहायता करनी चाहिए।

3 राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर को नीति के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को इनक्यूबेशन स्पेस में इनक्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम पर स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार से स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिये इनक्यूबेटर को **अनुलग्नक–3** पर आवेदन करना होगा।

5 **एंजल इंवेस्टर**

एंजल इंवेस्टर आम तौर पर समृद्ध या उच्च्य निवल मूल्य के व्यक्ति हैं जो स्टार्ट–अप अथवा उद्यमियों को शरूआती या प्रारम्भिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। एंजल इंवेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

6 **एंजल नेटवर्क**

एंजल नेटवर्क, एंजल इंवेस्टर का एक समूह है जो साथ–साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारंभिक चरण के व्यवसाय के लिए फंड को प्रबंधित करते है। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करके उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

7 **नवोन्मेष**

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

8 **विश्वविद्यालय**

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा ऐसी कोई भी संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

9 **स्टार्ट–अप काउंसिल**

(क) स्वरूप

स्टार्ट–अप काउंसिल के स्वरूप को सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। इसमें ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा जिनकों सरकार स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझे।

(ख) अधिकार

i. स्टार्ट–अप उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगी।

ii. उक्त प्रकार प्राप्त आवेदनों पर विचार–विमर्श कर नीति के अनुसार स्टार्ट–अप की पहचान कर सकेगी।

iii. उक्त प्रकार पहचान किये गये स्टार्ट–अप को नीति के अनुसार प्रदत्त प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय ले सकेगी।

iv. स्टार्ट–अप का सम्भाव्य मूल्यांकन कर सकेगी।

v. नीति के प्राविधानानुसार इनक्यूबेटर्स की पहचान कर सकेगी तथा उनको अधिसूचित कर सकेगी।

vi. नीति के अनुसार अधिसूचित इनक्यूबेटर्स को प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधायें प्रदान करने से सम्बंधित समस्त प्रक्रियाएँ सम्पादित कर सकेगी।

vii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को केन्द्र सरकार की अटल इनोवेशन फण्ड (A.I.F.) एवं स्टार्ट–अप इंडिया योजना के साथ केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में जोड़ने सम्बंधी कार्य कर सकेगी।

viii. छात्रों की औद्योगिक सेमिनार, प्रोजैक्ट सेमिनार व औद्योगिक भ्रमण हेतु टी.बी.आई. (Technology Business Incubator) व औद्योगिक आस्थानों में भ्रमण मे सहायता प्रदान करेगी।

ix. स्टार्ट–अप हेतु वातावरण सृजित करने के उद्‌देश्य से तकनीकी वाणिज्य मेलों का आयोजन कर सकेगी।

स्टार्ट–अप काउंसिल आवश्यकता अनुसार बैठकें आयोजित कर सकेगी परन्तु तीन माह में एक बार बैठक करना आवश्यक होगा। बैठक की गणपूर्ति हेतु सरकारी सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति न होने पर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक आयोजित करानी होगी।

इसके अतिरिक्त वे कार्य सम्पादित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

10 टास्क फोर्स

(क) स्टार्ट–अप काउंसिल की देख–रेख में उद्योग निदेशालय में निम्नानुसार एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी–

1	महानिदेशक/आयुक्त	–	अध्यक्ष
2	निदेशक उद्योग	–	उपाध्यक्ष

3	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
4	उपनिदेशक / सहायक निदेशक उद्योग	–	सदस्य–समन्वयक

(ख) टास्क फोर्स के कार्यः–

1. टास्क फोर्स स्टार्ट–अप काउंसिल के कार्यालय के रूप में कार्य करेगी।
2. नोडल ऐजेंसी द्वारा अग्रसारित आवेदनों पर निर्णय लेगी तथा नीति के अनुसार किसी स्टार्ट–अप को रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।
3. टास्क फोर्स द्वारा किये गये कार्यों का विवरण स्टार्ट–अप काउंसिल को उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
4. स्टार्ट–अप काउंसिल की बैठकें आयोजित कराना।

अध्यक्ष द्वारा टास्क फोर्स की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार विषय–विशेषज्ञों को बुलाया जा सकेगा।

11 नोडल ऐजेंसी

(क) सभी श्रेणी के स्टार्ट–अप को पहचान हेतु संस्तुत करने के लिए स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान / संगठन नोडल ऐजेंसी होंगे। स्टार्ट–अप काउंसिल से अनुमोदन हेतु नोडल ऐजेंसी को **अनुलग्नक–5** पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप कॉउन्सिल द्वारा नोडल ऐजेंसी को अनुमोदित करते समय तकनीकी तथा प्रबन्धन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) नोडल ऐजेंसी के कार्य

1. स्टार्ट–अप द्वारा पहचान हेतु किये गये आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।
2. वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।
3. स्टार्ट–अप को मेंटरशिप उपलब्ध कराना।

(ग) शुल्क – स्टार्ट–अप के पहचान तथा वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु किये गये आवदनों की स्क्रूटनी शुल्क के रूप में नोडल

ऐजेंसी द्वारा रू0 2000.00 (रू0 दो हजार) प्रति स्टार्ट–अप की दर से शुल्क लिया जायेगा।

उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु नोडल ऐजेंसी अपने यहां एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

12 फोकस क्षेत्र

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित है–

1. यात्रा और पर्यटन
2. खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित)
3. आयुर्वेद
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य क्षेत्र (**Healthcare**)
6. जैव प्रौद्योगिकी
7. फार्मास्यूटिकल्स

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र जो कि स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

13 अवसंरचनात्मक सहयोग

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जाएगा।

14 अन्य सहयोग

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधायें, जैसे निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

15 पाठ्यक्रम अद्यतन

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यकक्रमों को अद्यतन करने के लिए " उद्यमिता विकास " पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाएगी, ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

16 पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का

उद्यमशीलता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में

	समावेश	शामिल किया जाएगा। इन विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।
17	**ई.डी.सी. (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना**	महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई.डी.सी. स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता विकास सेल हब का एक हिस्सा होगें और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई.आई.टी. रूड़की तथा आई.आई.एम. काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिप प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई.पी.बी.) की शुरूआत की जाएगी।
18	**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**	नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।
19	**परियोजना कार्य**	अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट–अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरंभिक परियोजना के रूप में अपनी शुरूआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।
20	**मेन्टरशिप बूटकैम्प**	सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इनक्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट–अप इवेंजीलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किये जाएंगे। इससे– 1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी। 2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।
21	**नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट–अप फेस्टिवल**	उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा जिससे युवाओं को समस्या

हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे–

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

22 स्टार्ट–अप पंजीकरण तथा मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया

स्टार्ट–अप द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–1)** भर कर तथा साथ में उपक्रम निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करने पर उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018 के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकता है। यह आवेदन सम्बंधित नोडल ऐजेंसी को ऑनलाईन किया जायेगा। नोडल ऐजेंसी एक सप्ताह के अंतर्गत आवेदन की स्क्रूटनी कर के टास्क फोर्स को संस्तुति सहित अग्रसारित करेगी। टास्क फोर्स द्वारा नोडल ऐजेंसी से प्राप्त आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा परिणाम को पोर्टल पर ऑनलाईन प्रकाशित किया जायेगा तथा सम्बंधित स्टार्ट–अप को ई–मेल के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

23 स्टार्ट–अप को वित्तीय प्रोत्साहन

23.1 मासिक भत्ता

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को रू0 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता रू0 15,000 निम्नानुसार देय होगा –

- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वित्त पोषण का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- SEBI में पंजीकृत A.I.F 1 अथवा A.I.F 2 Angel निवेशक द्वारा इक्विटी वित्त पोषण किया हो, अथवा
- गत तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम रू 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का सकल (Gross) राजस्व अर्जित किया गया हो।

किसी स्टार्ट–अप को मासिक भत्ता निर्धारित प्रारूप पर **(अनुलग्नक–2 पर)** आवेदन करने तथा टास्क फोर्स द्वारा

स्वीकृत करने के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष तक ही देय होगा। प्रथम छहः माह मासिक भत्ता प्राप्त करने के पश्चात् स्टार्ट–अप द्वारा प्राप्त मासिक भत्ते के उपयोग, जोकि स्टार्ट–अप के विकास हेतु खर्च किया गया हो, का स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराने पर अगले माहों का मासिक भत्ता देय होगा।

23.2 विपणन सहायता

मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर रू0 5.00 लाख तक तथा नीति के अंतर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला /शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता रू0 7.5 लाख तक निम्नानुसार देय होगी–

- SEBI में पंजीकृत ए.आई.एफ. श्रेणी 1 अथवा 2 Angel निवेशक द्वारा कम से कम रू 10.00 लाख की इक्विटी का वित्त पोषण किया हो, अथवा
- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/ राज्य सरकार से कम से कम रू 2.00 लाख का वित्त पोषण/अनुदान का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- पिछले तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम रू 2.00 लाख प्रतिमाह की सकल (Gross) राजस्व प्राप्ति की गयी हो।

उक्तानुसार प्रदान की जानी वाली विपणन सहायता स्टार्ट–अप को मात्र एक बार देय होगी तथा इसके लिए स्टार्ट–अप को नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर हुये वास्तविक व्यय का मदवार स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न **(अनुलग्नक–2 पर)** दिया जाना होगा।

23.3 पेटेंट व्यय की प्रतिपूर्ति

स्टार्ट–अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रखरखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में रू 1.00 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में रू0 5.00 लाख तक देय होगी यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय निम्नानुसार देय होगी–

1. भारतीय पेटेंट अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट पर हुये व्यय की प्रथम 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–2 पर)** के साथ पेटेंट के लिये फाईल किये गये आवेदन की प्रति (Form 1/Form 5/Form 18) कोई अन्य प्राप्ति रसीद) संलग्न करना आवश्यक होगा, जिससे यह साबित हो सके की स्टार्ट–अप द्वारा पेटेंट के लिये आवेदन तथा शुल्क का भुगतान किया गया है।
2. शेष 25 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–2 पर)** के साथ प्राप्त पेटेंट प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

23.4 स्टाम्प शुल्क में छूट

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान/भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट देय होगी।

क्र.सं	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	**श्रेणी– ए**	शत प्रतिशत
2	**श्रेणी– बी**	शत प्रतिशत
3	**श्रेणी– बी+**	शत प्रतिशत
4	**श्रेणी– सी**	शत प्रतिशत
5	**श्रेणी– डी**	50 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015, के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

23.5 आवश्यकता आधारित सहायता

नए उत्पाद के विकास/वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल/घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को रू0 5.00 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट–अप परिषद् के अनुमोदन पर निर्भर करेगी। सहायता के मानक स्टार्ट–अप कॉउन्सिल द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। आवश्यकता आधारित सहायता प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को **अनुलग्नक–2** पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप आवश्यकता आधारित सहायता के लिये एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवश्यकता आधारित सहायता की कुल धनराशि किसी स्टार्ट–अप के लिये रू0 5.00 लाख से अधिक नहीं होगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् 3 माह के अन्दर स्टार्ट–अप को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

23.6 राज्य माल एवं सेवा कर

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म/ईकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी टू सी) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किये गये एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य माल एवं सेवा कर मे प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

24 इनक्यूबेटर को वित्तीय प्रोत्साहन

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "इनक्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई को निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहन देय होंगे–

24.1 पूँजीगत सहायता

इनक्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इनक्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इनक्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न शर्त अनुसार देय होगी–

1. इनक्यूबेटर केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
2. इनक्यूबेटर में कम से कम 5,000 वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध हो।

पूँजीगत सहायता दिये जाने की प्रक्रिया	1.	इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।
	2.	टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।
	3.	स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी।
	4.	स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी।
	5.	पूँजीगत सहायता किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
24.2 चालू खर्चे हेतु सहायता		स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख की सहायता निम्न शर्तानुसार देय होगी :–
	1.	यह सहायता इनक्यूबेटर को विद्युत बिल, जलकर, आदि चालू खर्चो हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
	2.	इस सहायता हेतु इनक्यूबेटर वर्ष में एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु धनराशि की कुल सीमा रू0 2.00 लाख ही रहेगी।
चालू खर्चा प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया	1.	इनक्यूबेटर को **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।
	2.	टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के आवेदन की समीक्षा की जायेगी।
	3.	आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि इनक्यूबेटर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
	4.	इनक्यूबेटर को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

24.3 मैचिंग ग्रांट

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उददेश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम रू0 2.00 करोड़ जो भी कम हो, देय होगा।

मैचिंग ग्रांट प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया		1. इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा। 2. टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। 3. स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी। 4. स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। 5. मैचिंग ग्रांट किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
25	**आइडिया चैलेंज**	उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उददेश्य से राज्य के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक छः माह में आइडिया चैलेंज आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या राज्य में अधिकतम 10 तक हो सकती है, रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। आइडिया चैलेंज के लिये टास्क फोर्स द्वारा स्टार्ट–अप काउंसिल की अनुमोदन से समस्याओं का चयन किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई माह में कुमाँऊ मंडल तथा गढ़वाल मंडल के किसी एक–एक जनपद में आइडिया चैलेंज का आयोजन किया जायेगा।
26	**प्रोत्साहनों की वसूली**	नीति के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी प्रकार के अनुदान/सहायता का दुरूपयोग अथवा स्वप्रमाणन में किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी/सूचना पाये जाने पर अनुदान/सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0–295/XXVII(8)/2018 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 810 (1)/VII-2-18/41-M.S.M.E./2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव—मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुँमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. प्रतिनिधि, आई0आई0टी0, रूड़की/आई0आई0एम0, काशीपुर/जी0बी0 पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंत नगर/एन0आई0टी0, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त नीति का प्रकाशन आगामी गजट में करते हुए 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

Letter No:...399-28...
Date: 28-4-2018

From:

Principal Secretary,
Department of Industries,
Government of Uttarakhand

To,

Commissioner
Department of Industries
Government of Uttarakhand

Sub: Use of Uttarakhand's 'Public Consultation Module'for regulations on newer and disruptive areas

Ref: Letter no 789/XLIII(1)2016-05(28)/2015 dated 14/06/16 from Chief Secretary to all Principal Secretaries / Secretaries of State

With reference to the above, wherein it has been directed that all important regulations be uploaded on the State's 'Public Consultation Portal' (http://ukpublicconsultation.in) for inviting comments of stakeholders, it is hereby clarified that the draft regulations on newer and disruptive areas be published for at least 30 days on the said Portal.

Through this Portal, stakeholders may be consulted and feedback be incorporated before introducing regulations concerning new technologies/business models. The final decision of the State also needs to be published in public domain.

This is for your kind information.

(Manisha Panwar)
Principal Secretary

Encl: Letter no 789/ XLIII(1)2016-05(28)/2015 dated 14/06/16 from Chief Secretary to all Principal Secretaries / Secretaries of State

Copy to: 1) Personal Secretary to Chief Secretary.
2) Director – Industries.

(Manisha Panwar)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या: — /VII-2-18/41-एमएसएमई/2016
दिनांक: 6 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप **संख्या-403/सात-2-18/41-एमएसएमई/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2018** से प्रख्यापित **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति-2018** में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन आदेश-2018** प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि	1. ये दिशा-निर्देश/आदेश **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन आदेश-2018** कहे जायेंगे। 2. यह दिशा-निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड की स्टार्ट-अप नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षो अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेंगे। **दिनांक 29.06.2017 के पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप को भी स्टार्ट-अप नीति के लाभ अनुमन्य होंगे।** 3. फील्ड स्तर पर इन दिशा-निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के महानिदेशक पदधारक अधिकारी, जो वर्तमान में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग है तथा उनके अधीन जनपदों में कार्यरत जनपद स्तरीय अधिकारी जो वर्तमान में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हैं, का होगा।
2	उपक्रम (Entity)	उपक्रम से तात्पर्य (कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार), पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार) अथवा सीमित देयता साझेदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अनुसार) गठित विधिक उपक्रम से है।
3	स्टार्ट-अप की परिभाषा	उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप नीति के अंतर्गत एक ईकाई को स्टार्ट-अप माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तो को पूर्ण करती हो अथवा यदि ईकाई स्टार्ट-अप इंडिया की पहल

के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे उल्लिखित चौथी शर्त को पूर्ण करती हो:–

1 उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट–अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी और,

2 निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष मे उसका कारोबार रू0 25.00 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और

3 पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था (एन्टिटि) को स्टार्ट–अप नहीं माना जाएगा।

4 उत्तराखण्ड में इसे निगमित/पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हों, जिसमें अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण:–

1 कोई उपक्रम अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रूपये से अधिक होने पर 'स्टार्ट–अप' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2 कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

3 यदि स्टार्ट–अप उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के सम्बंध में कार्य कर रहा है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च्य सम्भावना वाला एक स्केलेबल व्यवसायिक मॉडल है तो उसे स्टार्ट–अप माना जायेगा। किसी उपक्रम को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:–

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगाः–

(क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

(ख) एक समान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों,

4 इनक्यूबेटर

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं जैसे भौतिक स्थान, पूंजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इनक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.)।

1 इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिएः–

(क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत)

(ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)

(ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम–2013 के तहत)

(घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम–2008 के तहत)

(ड.) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम–1882 के तहत)

2 इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से

सहायता करनी चाहिए।

3 राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर को नीति के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को इनक्यूबेशन स्पेस में इनक्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम पर स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार से स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिये इनक्यूबेटर को **अनुलग्नक–3** पर आवेदन करना होगा।

5 एंजल इंवेस्टर

एंजल इंवेस्टर आम तौर पर समृद्ध या उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति हैं जो स्टार्ट–अप अथवा उद्यमियों को शरूआती या प्रारम्भिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। एंजल इंवेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

6 एंजल नेटवर्क

एंजल नेटवर्क, एंजल इंवेस्टर का एक समूह है जो साथ–साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारंभिक चरण के व्यवसाय के लिए फंड को प्रबंधित करते है। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करके उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

7 नवोन्मेष

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

8 विश्वविद्यालय

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा ऐसी कोई भी संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

9 स्टार्ट–अप काउंसिल

(क) स्वरूप

स्टार्ट–अप काउंसिल के स्वरूप को सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। इसमें ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा जिनकों सरकार स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझे।

(ख) अधिकार

i. स्टार्ट–अप उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगी।

ii. उक्त प्रकार प्राप्त आवेदनों पर विचार–विमर्श कर नीति के अनुसार स्टार्ट–अप की पहचान कर सकेगी।

iii. उक्त प्रकार पहचान किये गये स्टार्ट–अप को नीति के अनुसार प्रदत्त प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय ले सकेगी।

iv. स्टार्ट–अप का सम्भाव्य मूल्यांकन कर सकेगी।

v. नीति के प्राविधानानुसार इनक्यूबेटर्स की पहचान कर सकेगी तथा उनको अधिसूचित कर सकेगी।

vi. नीति के अनुसार अधिसूचित इनक्यूबेटर्स को प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधायें प्रदान करने से सम्बंधित समस्त प्रक्रियाएँ सम्पादित कर सकेगी।

vii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को केन्द्र सरकार की अटल इनोवेशन फण्ड (A.I.F.) एवं स्टार्ट–अप इंडिया योजना के साथ केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में जोड़ने सम्बंधी कार्य कर सकेगी।

viii. छात्रों की औद्योगिक सेमिनार, प्रोजैक्ट सेमिनार व औद्योगिक भ्रमण हेतु टी.बी.आई. (Technology Business Incubator) व औद्योगिक आस्थानों में भ्रमण मे सहायता प्रदान करेगी।

ix. स्टार्ट–अप हेतु वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से तकनीकी वाणिज्य मेलों का आयोजन कर सकेगी।

स्टार्ट–अप काउंसिल आवश्यकता अनुसार बैठकें आयोजित कर सकेगी परन्तु तीन माह में एक बार बैठक करना आवश्यक होगा। बैठक की गणपूर्ति हेतु सरकारी सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति न होने पर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक आयोजित करानी होगी।

इसके अतिरिक्त वे कार्य सम्पादित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

10 टास्क फोर्स

(क) स्टार्ट–अप काउंसिल की देख–रेख में उद्योग निदेशालय में निम्नानुसार एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी–

1	महानिदेशक/आयुक्त	–	अध्यक्ष
2	निदेशक उद्योग	–	उपाध्यक्ष

3	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
4	उपनिदेशक/ सहायक निदेशक उद्योग	–	सदस्य–समन्वयक

(ख) टास्क फोर्स के कार्यः–

1. टास्क फोर्स स्टार्ट–अप काउंसिल के कार्यालय के रूप में कार्य करेगी।
2. नोडल ऐजेंसी द्वारा अग्रसारित आवेदनों पर निर्णय लेगी तथा नीति के अनुसार किसी स्टार्ट–अप को रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।
3. टास्क फोर्स द्वारा किये गये कार्यों का विवरण स्टार्ट–अप काउंसिल को उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
4. स्टार्ट–अप काउंसिल की बैठकें आयोजित कराना।

अध्यक्ष द्वारा टास्क फोर्स की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार विषय–विशेषज्ञों को बुलाया जा सकेगा।

11 नोडल ऐजेंसी

(क) सभी श्रेणी के स्टार्ट–अप को पहचान हेतु संस्तुत करने के लिए स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन नोडल ऐजेंसी होंगे। स्टार्ट–अप काउंसिल से अनुमोदन हेतु नोडल ऐजेंसी को **अनुलग्नक–5** पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप कॉउन्सिल द्वारा नोडल ऐजेंसी को अनुमोदित करते समय तकनीकी तथा प्रबन्धन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) नोडल ऐजेंसी के कार्य

1. स्टार्ट–अप द्वारा पहचान हेतु किये गये आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।
2. वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।
3. स्टार्ट–अप को मेंटरशिप उपलब्ध कराना।

(ग) शुल्क – स्टार्ट–अप के पहचान तथा वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु किये गये आवदनों की स्क्रूटनी शुल्क के रूप में नोडल

ऐजेंसी द्वारा रू0 2000.00 (रू0 दो हजार) प्रति स्टार्ट–अप की दर से शुल्क लिया जायेगा।

उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु नोडल ऐजेंसी अपने यहां एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

12 फोकस क्षेत्र

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित है–

1. यात्रा और पर्यटन
2. खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित)
3. आयुर्वेद
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य क्षेत्र (**Healthcare**)
6. जैव प्रौद्योगिकी
7. फार्मास्यूटिकल्स

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र जो कि स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

13 अवसंरचनात्मक सहयोग

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जाएगा।

14 अन्य सहयोग

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधायें, जैसे निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

15 पाठ्यक्रम अद्यतन

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यकक्रमों को अद्यतन करने के लिए " उद्यमिता विकास " पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जाएगी, ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

16 पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का

उद्यमशीलता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में

	समावेश	शामिल किया जाएगा। इन विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।
17	**ई.डी.सी. (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना**	महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई.डी.सी. स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता विकास सेल हब का एक हिस्सा होगें और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई.आई.टी. रूड़की तथा आई.आई.एम. काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिप प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई.पी.बी.) की शुरूआत की जाएगी।
18	**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**	नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।
19	**परियोजना कार्य**	अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट–अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरंभिक परियोजना के रूप में अपनी शुरूआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।
20	**मेन्टरशिप बूटकैम्प**	सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इनक्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट–अप इवेंजीलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किये जाएंगे। इससे– 1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी। 2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।
21	**नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट–अप फेस्टिवल**	उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा जिससे युवाओं को समस्या

हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे–

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

22 स्टार्ट–अप पंजीकरण तथा मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया

स्टार्ट–अप द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–1)** भर कर तथा साथ में उपक्रम निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करने पर उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018 के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकता है। यह आवेदन सम्बंधित नोडल ऐजेंसी को ऑनलाईन किया जायेगा। नोडल ऐजेंसी एक सप्ताह के अंतर्गत आवेदन की स्क्रूटनी कर के टास्क फोर्स को संस्तुति सहित अग्रसारित करेगी। टास्क फोर्स द्वारा नोडल ऐजेंसी से प्राप्त आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा परिणाम को पोर्टल पर ऑनलाईन प्रकाशित किया जायेगा तथा सम्बंधित स्टार्ट–अप को ई–मेल के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

23 स्टार्ट–अप को वित्तीय प्रोत्साहन

23.1 मासिक भत्ता

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को रू0 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति /महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता रू0 15,000 निम्नानुसार देय होगा –

- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वित्त पोषण का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- SEBI में पंजीकृत A.I.F 1 अथवा A.I.F 2 Angel निवेशक द्वारा इक्विटी वित्त पोषण किया हो, अथवा
- गत तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम रू 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का सकल (Gross) राजस्व अर्जित किया गया हो।

किसी स्टार्ट–अप को मासिक भत्ता निर्धारित प्रारूप पर **(अनुलग्नक–2 पर)** आवेदन करने तथा टास्क फोर्स द्वारा

स्वीकृत करने के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष तक ही देय होगा। प्रथम छहः माह मासिक भत्ता प्राप्त करने के पश्चात् स्टार्ट–अप द्वारा प्राप्त मासिक भत्ते के उपयोग, जोकि स्टार्ट–अप के विकास हेतु खर्च किया गया हो, का स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र ऑनलाईन उपलब्ध कराने पर अगले माहों का मासिक भत्ता देय होगा।

23.2 विपणन सहायता

मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर रू0 5.00 लाख तक तथा नीति के अंतर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला /शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता रू0 7.5 लाख तक निम्नानुसार देय होगी–

- SEBI में पंजीकृत ए.आई.एफ. श्रेणी 1 अथवा 2 Angel निवेशक द्वारा कम से कम रू 10.00 लाख की इक्विटी का वित्त पोषण किया हो, अथवा
- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/ राज्य सरकार से कम से कम रू 2.00 लाख का वित्त पोषण/अनुदान का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- पिछले तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम रू 2.00 लाख प्रतिमाह की सकल (Gross) राजस्व प्राप्ति की गयी हो।

उक्तानुसार प्रदान की जानी वाली विपणन सहायता स्टार्ट–अप को मात्र एक बार देय होगी तथा इसके लिए स्टार्ट–अप को नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार प्रसार पर हुये वास्तविक व्यय का मदवार स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न **(अनुलग्नक–2 पर)** दिया जाना होगा।

23.3 पेटेंट व्यय की प्रतिपूर्ति

स्टार्ट–अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रखरखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में रू 1.00 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में रू0 5.00 लाख तक देय होगी यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय निम्नानुसार देय होगी–

1. भारतीय पेटेंट अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट पर हुये व्यय की प्रथम 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–2 पर)** के साथ पेटेंट के लिये फाईल किये गये आवेदन की प्रति (Form 1/Form 5/Form 18) कोई अन्य प्राप्ति रसीद) संलग्न करना आवश्यक होगा, जिससे यह साबित हो सके की स्टार्ट–अप द्वारा पेटेंट के लिये आवेदन तथा शुल्क का भुगतान किया गया है।
2. शेष 25 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को आवेदन पत्र **(अनुलग्नक–2 पर)** के साथ प्राप्त पेटेंट प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

23.4 स्टाम्प शुल्क में छूट

स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान/भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टाम्प शुल्क में छूट देय होगी।

क्र.सं	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	**श्रेणी– ए**	शत प्रतिशत
2	**श्रेणी– बी**	शत प्रतिशत
3	**श्रेणी– बी+**	शत प्रतिशत
4	**श्रेणी– सी**	शत प्रतिशत
5	**श्रेणी– डी**	50 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015, के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

23.5 आवश्यकता आधारित सहायता

नए उत्पाद के विकास/वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल/घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को रू0 5.00 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट–अप परिषद् के अनुमोदन पर निर्भर करेगी। सहायता के मानक स्टार्ट–अप कॉउन्सिल द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। आवश्यकता आधारित सहायता प्राप्त करने के लिये स्टार्ट–अप को **अनुलग्नक–2** पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप आवश्यकता आधारित सहायता के लिये एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवश्यकता आधारित सहायता की कुल धनराशि किसी स्टार्ट–अप के लिये रू0 5.00 लाख से अधिक नहीं होगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् 3 माह के अन्दर स्टार्ट–अप को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

23.6 राज्य माल एवं सेवा कर

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म/ईकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी टू सी) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किये गये एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य माल एवं सेवा कर मे प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

24 इनक्यूबेटर को वित्तीय प्रोत्साहन

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "इनक्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई को निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहन देय होंगे–

24.1 पूँजीगत सहायता

इनक्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इनक्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इनक्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न शर्त अनुसार देय होगी–

1. इनक्यूबेटर केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो।
2. इनक्यूबेटर में कम से कम 5,000 वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध हो।

पूँजीगत सहायता दिये जाने की प्रक्रिया	1.	इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।
	2.	टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।
	3.	स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी।
	4.	स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी।
	5.	पूँजीगत सहायता किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
24.2 चालू खर्चे हेतु सहायता		स्टार्ट–अप परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख की सहायता निम्न शर्तानुसार देय होगी :–
	1.	यह सहायता इनक्यूबेटर को विद्युत बिल, जलकर, आदि चालू खर्चो हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
	2.	इस सहायता हेतु इनक्यूबेटर वर्ष में एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु धनराशि की कुल सीमा रू0 2.00 लाख ही रहेगी।
चालू खर्चा प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया	1.	इनक्यूबेटर को **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।
	2.	टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के आवेदन की समीक्षा की जायेगी।
	3.	आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि इनक्यूबेटर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
	4.	इनक्यूबेटर को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

24.3 मैचिंग ग्रांट

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उददेश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम रू0 2.00 करोड़ जो भी कम हो, देय होगा।

	मैचिंग ग्रांट प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया	1. इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक–4** पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा। 2. टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। 3. स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी। 4. स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। 5. मैचिंग ग्रांट किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
25	**आइडिया चैलेंज**	उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक छः माह में आइडिया चैलेंज आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या राज्य में अधिकतम 10 तक हो सकती है, रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। आइडिया चैलेंज के लिये टास्क फोर्स द्वारा स्टार्ट–अप काउंसिल की अनुमोदन से समस्याओं का चयन किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई माह में कुमाँऊ मंडल तथा गढ़वाल मंडल के किसी एक–एक जनपद में आइडिया चैलेंज का आयोजन किया जायेगा।
26	**प्रोत्साहनों की वसूली**	नीति के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी प्रकार के अनुदान/सहायता का दुरूपयोग अथवा स्वप्रमाणन में किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी/सूचना पाये जाने पर अनुदान /सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0–295/XXVII(8)/2018 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 610 (1)/VII-2-18/41-M.S.M.E./2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव—मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुँमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. प्रतिनिधि, आई0आई0टी0, रूड़की/आई0आई0एम0, काशीपुर/जी0बी0 पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंत नगर/एन0आई0टी0, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त नीति का प्रकाशन आगामी गजट में करते हुए 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।